उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 16.10.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

उत्तर प्रदेश पुलिस

महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु चलाए जा रहे "मिशन शक्ति" के फेज-5.0 अभियान के तहत जनपदीय महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों एवं कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी देते हुए किया गया जागरुक-

उ0प्र0 पुलिस प्रशासन द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाए जा रहे "मिशन शक्ति" के फेज-5.0 अभियान के तहत 90 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 16.10.2024 को जनपद के समस्त थानों में गठित महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा महिला बीट आरक्षी/एंटी रोमियों पुलिस टीम सहित पुलिस अधिकारीगण के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति फेज-5 के तहत जागरुक किया गया।

अभियान के तहत बालिकाओं/महिलाओं को महिला उत्पीड़न की रोकथाम, उनके अधिकारों एवं महिला उत्पीड़न के संबंध में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जागरूक किया गया तथा प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु चलायी जा रही विभिन्न लाभकारी योजनाओ मुख्यमंत्री सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बैंकिंग कॉरस्पोडेंट सखी, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना व राष्ट्रीय पोषण मिशन के संबंध मे विस्तृत जानकारी दी गयी। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहो एवं साइबर क्राइम, डिजिटल अरेस्ट के बारें में जागरुक कर साइबर हेल्पलाइन नम्बर-1930 सहित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों यथा- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076–मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा आदि के विषय मे जागरूक करते हुए पम्पलेट वितरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक 16.10.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

थाना अजनर की पुलिस टीम ने किसान को रिश्तेदार बताकर गुमराह कर रुपयों की ठगी करने वाले 03 नफर शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर ठगी की घटना का सफल अनावरण किया है, अभियुक्तों के कब्जे से घटना में ठगी गयी शतप्रतिशत सम्पत्ति सहित घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा व मोटरसाइकिल की बरामदगी की गई है-

सितम्बर माह में थाना अजनर क्षेत्र अन्तर्गत एक किसान को रिश्तेदार बताकर गुमराह कर उसके रुपयों की ठगी किये जाने के सम्बन्ध में थाना अजनर में मु.अ.सं. 205/24 पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा इस घटना का संज्ञान लिया गया जिसके क्रम में इस ठगी की घटना में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अजनर श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 हरीशंकर यादव मय हमराह एवं कोबरा पुलिस टीम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दिनांक- 15.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थानाक्षेत्र के नहर कोठी पुलिया के पास से किसान को रिश्तेदार बताकर गुमराह कर उसके साथ ठगी की घटना कारित करन वाले आपराधिक प्रवृत्ति के 03 नफर शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज, ठगी गयी शतप्रतिशत सम्पत्ति 05 हजार रु. नगद तथा ठगी की घटना मे प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल HF100 बरामद की गयी है।

उक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी व उनके कब्जे से हुई बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 303(2)/317(2),3(5) BNS की बढोत्तरी की गई है साथ ही अवैध शस्त्र बरामदगी के आधार पर थाना अजनर में क्रमशः मु0अ0सं0 232/24, 233/24, 234/24 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किय गया तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के प्रपत्र मौजूद न होने पर धारा 207 M.V Act के तहत सीज की कार्यवाही की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी के उपरान्त जेल भेजा गया है।

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल व ठगी किए गये 5 हजार ₹ नगद
01 अदद तमंचा व 03 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज
01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.अरुण कुमार पुत्र कल्लू कंजड उम्र 22 वर्ष निवासी मुहल्ला प्रेमनगर नत्थु पुरा बजरिया थाना कोतवाली महोबा **2.**धीरेन्द्र उर्फ गब्बर पुत्र कैलाश कंजड उम्र 19 वर्ष निवासी सिकंदरपुरा राठ हमीरपुर हाल पता सावना का मुहल्ला 4 नम्बर चुंगी थाना उरई जिला जालौन व ग्राम उमरिया थाना जरिया हमीरपुर **3.**करन पुत्र केश करन कंजड उम्र 19 वर्ष निवासी सिकंदर पुरा नई बस्ती थाना राठ हमीरपुर हाल पता ग्राम उमरिया थाना जरिया हमीरपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 हरीशंकर यादव 2. उ0नि0 सुरेश कुमार सचान
3. कां0 सूर्यांस प्रताप सिंह बुन्देला **कोबरा टीम-** 1. कां0 भरत सिंह 2. कां0 तुषार सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त धीरेन्द्र उर्फ गब्बर पुत्र कैलाश कंजड़ का आपराधिक इतिहास-

1. मु.अ.सं. 48/23 धारा 379/411 भादवि थाना अजनर
2. मु.अ.सं. 143/23 धारा 379/411 भादवि थाना कुलपहाड़
3. मु.अ.सं. 162/23 धारा 379/411 भादवि थाना कुलपहाड़
4. मु.अ.सं. 175/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुलपहाड़
5. मु.अ.सं. 208/23 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना कुलपहाड़

महोबा पुलिस

थाना कबरई की पुलिस टीम ने मोबाइल टावरों से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व चार्जिंग मॉड्यूल की चोरी करने वाले 02 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चोरी की दो घटनाओं का सफल अनावरण किया है, अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 03 अदद चार्जिंग माड्यूल व चोरी के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बेचने के 50 हजार ₹ नगद सहित 2 तमंचा व 2 कारतूस की बरामदगी की गई है।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपद में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने व चोरी की घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 16.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई नागेन्द्र कुमार नागर द्वारा गठित की गई थाना कबरई की पुलिस टीम ने मोबाइल टावर से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों एवं चार्जिंग मॉड्यूल की चोरी करने वाले 02 नफर वांछित अभियुक्त क्रमशः 1.प्रेम प्रकाश पटेल पुत्र काशीप्रसाद पटेल 2.रामदास पटेल पुत्र विजय शंकर पटेल निवासीगण जमोहरा थाना लालगंज जिला मिर्जापुर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से थाना कबरई में मु0अ0स0 304/24 धारा 303(2) BNS से सम्बन्धित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बेचने से अर्जित सम्पत्ति 40 हजार रूपये/- व 10 हजार रूपये/- नगद तथा थाना कुलपहाड़ में पंजीकृत मु0अ0स0 301/24 धारा 303(2) BNS से सम्बन्धित 03 अदद चार्जिंग माड्यूल की बरामदगी कर घटना का सफल अनावरण किया गया है व मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) BNS की बढ़ोत्तरी की गई है । इसके अतिरिक्त गिरफ्तार अभियुकतों के कब्जे से 02 अदद तमंचा व 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज के आधार पर थाना कबरई में क्रमशः मु.अ.सं. 305/24 व 306/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह 2.उ0नि0 नरेशचन्द्र निगम
3. कां0 शैलेन्द्र सिंह, 4. अंकित कुमार पटेल 5. हे0कां0 चालक राजेन्द्र प्रसाद

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. प्रेम प्रकाश पटेल पुत्र काशीप्रसाद पटेल निवासी जमोहरा थाना लालगंज जिला मिर्जापुर
2. रामदास पटेल पुत्र विजय शंकर पटेल निवासी जमोहरा थाना लालगंज जिला मिर्जापुर

बरामदगी-

a. चोरी के 03 अदद चार्जिंग माड्यूल
b. चोरी के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बेचने के 50 हजार ₹ नगद
c. 02 अदद तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस नाजायज

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 16.10.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा एवं कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल के निर्देशन पर जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अवैध शस्त्र के निर्माण, बिक्री एवं परिवहन से सम्बन्धित अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 16.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री गणेश कुमार द्वारा गठित की गई उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह मय हमराह हे0का0 राजकुमार सिंह व का0 मो0कामिल के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त देवेन्द्र कुमार राजपूत पुत्र दुलीचन्द्र राजपूत उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम गौरहारी थाना चरखारी जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद देशी तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुए गुढ़ा सबुआ मोड़ के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना चरखारी में मु0अ0सं0 248/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह
2. हे0का0 राजकुमार सिंह
3. का0 मो0 कामिल

गिरफ्तार अभियुक्त –

देवेन्द्र कुमार राजपूत पुत्र दुलीचन्द्र राजपूत उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम गौरहारी थाना चरखारी जनपद महोबा

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 16.10.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 16.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री राधेश्याम वर्मा द्वारा गठित की गई उ0नि0 सुबाषचन्द्र तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्तगण क्रमशः 1.श्यामलाल पुत्र रतीराम उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम सौरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा सम्बन्धित परिवाद सं0 813/2018 धारा 323/504/506 भादवि 2.छत्तू उर्फ छत्रपाल पुत्र भवानीदीन उम्र करीब 45 वर्ष निवसी ग्राम मानकी थाना महोबकंठ जनपद महोबा सम्बन्धित मु0सं0 770/2018 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट में मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलपहाड़ महोबा द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्तगण उपरोक्त को भिन्न-भिन्न स्थानो से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.श्यामलाल पुत्र रतीराम उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम सौरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा
2.छत्तू उर्फ छत्रपाल पुत्र भवानीदीन उम्र 45 वर्ष नि0 ग्राम मानकी थाना महोबकंठ महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सुबाषचन्द्र तिवारी
2. हे0कां0 शत्रुघन सिंह

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 16.10.2024

मीडिया सेल, महोबा

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 15.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री राधेश्याम वर्मा द्वारा गठित की गई व0उ0नि0 सत्येन्द्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त हरीसिंह राजपूत पुत्र मईयादीन उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम अमानपुरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा जिसके कब्जे से एक बोरी में 21 क्वाटर ब्लू फ्लैग देशी शराब नाजायज बरामद करते हुए ग्राम पिपरी के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना महोबकंठ में मु0अ0सं0 195/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 सत्येन्द्र सिंह
2. उ0नि0 अनुज कुमार सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त-

हरीसिंह राजपूत पुत्र मईयादीन उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम अमानपुरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा

@MahobaPolice

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 16.10.2024

मीडिया सेल, महोबा

अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने हेतु शासन द्वारा चलाए जा रहे "सड़क सुरक्षा पखवाड़ा" कार्यक्रम का किया गया समापन-यातायात नियमों के प्रति स्थानीय लोगों को किया जागरुक-

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाए जाने तथा लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरुकता प्रदान किये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा दिनांक 02 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज दिनांक 16.10.2024 को सड़क सुरक्षा पखवाडा के समापन के अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालेज में पहुंचकर मा0 सदर विधायक राकेश गोस्वामी की गरिमामयी उपस्थिति में वहां मौजूद अपर जिलाधिकारी रामप्रकाश, क्षेत्राधिकारी नगर/यातायात श्री दीपक दुबे, एआरटीओ श्री दयाशंकर, यातायात प्रभारी श्री सुनील कुमार सिंह की मौजूदगी में विद्यालय के छात्र/शिक्षकगण एवं स्थानीय लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरुक किया गया।

अपर पुलिस अधीक्षक ने सड़क सुरक्षा पखवाड़े के समापन पर यातायात नियमों के पालन का महत्व को बताते हुए यातायात संकेतों और नियमों के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों को हेलमेट धारण किये जाने तथा बिना सीट बेल्ट के चार पहिया वाहन चलाने वालों को शीटबेन्ट धारण किए जाने की सलाह दी। सड़क पर दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए यातायात सुरक्षा सम्बन्धी सभी नियमों का पालन करना अति आवश्यक है।

इस अवसर पर अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित थे, जिन्होंने सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने में योगदान दिया। पखवाड़े के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को सड़क पर सुरक्षित रहने की जानकारी दी गई। तथा सभी से अपील की कि वे हमेशा यातायात नियमों का पालन करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें, ताकि सभी मिलकर एक सुरक्षित सड़क परिवहन सुनिश्चित कर सकें।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा 27वीं प्रयागराज जोन की अन्तर्जनपदीय महिला व पुरुष बैडमिण्टन एवं टेबल टेनिस प्रतियोगिता का किया गया समापन।

आज दिनांक 16.10.2024 को श्री पलाश बंसल, पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्रयागराज जोन की 27वीं अंतर्जनपदीय महिला व पुरुष बैडमिण्टन एवं टेबिल टेनिस प्रतियोगिता 2024 का सकुशल समापन जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम जनपद महोबा में किया गया । विजेता टीम और खिलाड़ियों (अधिकारी/कर्मचारी) का उत्साहवर्धन कर पुरस्कृत किया गया व उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर/यातायात श्री दीपक दुबे, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार, प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवकुमार, पीआरओ श्री अरविन्द सिंह गौर सहित प्रयागराज जोन के समस्त जनपदों एवं पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज से प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी मय टीम प्रबन्धक के साथ मौजूद रहे।

उल्लेखनीय है कि जनपद महोबा के तत्वाधान में जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम, महोबा में आयोजित हो रही प्रयागराज जोन की 27वीं अन्तर्जनपदीय महिला व पुरुष बैडमिण्टन प्रतियोगिता में प्रयागराज जोन के अन्तर्गत आने वाले जनपदों क्रमशः महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़ व कमिश्नरेट प्रयागराज सहित कुल 07 टीमों द्वारा प्रतिभाग किया गया था।

विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं के विजेता जनपद/टीम का विवरण-

बैडमिंटन टीम चैम्पियनशिप महिला प्रतियोगिता-
कमिश्नरेट प्रयागराज विजेता, जनपद चित्रकूट उपविजेता।

बैडमिंटन टीम चैम्पियनशिप पुरुष प्रतियोगिता-
कमिश्नरेट प्रयागराज विजेता, जनपद कौशाम्बी उपविजेता।

टेबल टेनिस टीम चैम्पियनशिप महिला प्रतियोगिता-
कमिश्नरेट प्रयागराज विजेता, जनपद महोबा उपविजेता।

टेबल टेनिस टीम चैम्पियनशिप पुरुष प्रतियोगिता-
कमिश्नरेट प्रयागराज विजेता, जनपद कौशाम्बी उपविजेता।

बैडमिन्टन सिंगल व्यक्तिगत महिला- कमिश्नरेट प्रयागराज विजेता, जनपद फतेहपुर उपविजेता

बैडमिन्टन सिंगल व्यक्तिगत पुरुष- कमिश्नरेट प्रयागराज विजेता, कमिश्नरेट प्रयागराज उपविजेता

बैडमिन्टर डबल पुरुष- कमिश्नरेट प्रयागराज विजेता, कमिश्नरेट प्रयागराज उपविजेता

टेबल टेनिस व्यक्तिगत महिला- जनपद कौशाम्बी विजेता, कमिश्नरेट प्रयागराज उपविजेता।

टेबल टेनिस व्यक्तिगत पुरुष- कमिश्नरेट प्रयागराज विजेता, जनपद कौशाम्बी उपविजेता।